प्र.क. R PBR / 2017

प्रस्तुती दिनांक /01/2017

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प इन्दौर के समक्ष

R 197-PBR/17

(95)

रामचंद्र पिता शोभाराम मृत तर्फे वारिसान

1. भंवरलाल पिता स्व. रामचंद्र लोधा (पटेल)
2. समंदरलाल पिता स्व. रामचंद्र लोधा (पटेल)

निवासी – ग्राम खाकेडी, तहसील सरदारपुर

जिला धार .... प्रार्थीगण / आवेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि. द्वारा आज दि. 12.1.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-1-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. धुलजी पिता रणछोड़ लोधा

   निवासी – ग्राम खाकेडी, तहसील सरदारपुर

   जिला धार
2. कंवरलाल पिता शोभाराम लोधा

   निवासी – ग्राम खाकेडी, तहसील सरदारपुर

   जिला धार
3. हीराबाई पति शोभाराम लोधा

   निवासी – ग्राम खाकेडी, तहसील सरदारपुर

   जिला धार
4. संग्रामसिंह पिता स्व. रामचंद्र लोधा (पटेल)

   निवासी – ग्राम खाकेडी, तहसील सरदारपुर

   जिला धार ....प्रतिप्रार्थीगण / अनावेदकगण

9 12/01/17

65 13-1-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

इसमें अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्र.क. 32/निगरानी/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2004 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **निगरानी 197—पीबीआर/17** [रामचंद/धूलजी] **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—3—2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28—7—2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12—1—2017 को लगभग 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आवेदकगण को उनके पिता रामचन्द्र द्वारा जानकारी नहीं देना बतलाया जा रहा है जो कि विश्वसनीय कारण नहीं है । यदि कुछ समय के लिये मान भी लिया जाये कि आवेदक के पिता उन्हें आदेश की जानकारी नहीं दी गई है तब भी उनके पिता की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई है, इसके पश्चात् भी आवेदकगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के संबंध में 3 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया समय बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	